भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : *218

उत्तर देने की तारीख: 23.03.2022

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण

218*. श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों ओर चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में अब तक अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए चलाई जा रही नि:शुल्क प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए और अधिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण" के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 23.03.2022 को राज्य सभा में उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 218 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारत में पीएम-दक्ष पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों/विमुक्त जनजातियों और कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों सहित सफाई कर्मचारियों से संबंधित युवाओं (18-45 वर्ष की आयु के बीच) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही' (पीएम-दक्ष) स्कीम शुरू की है। यह प्रशिक्षण नि:शुल्क है और इसे तीन निगमों नामत: अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों/विमुक्त जनजातियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और कूडा बीनने वाले व्यक्तियों सहित सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान राजस्थान में एससी/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी लाभार्थियों के संबंध में शुरू किए गए प्रशिक्षण और नियोजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राजस्थान	2020-21 (प्रशिक्षण शुरू किया गया)			2020-21 (किया गया नियोजन)*		
	एससी	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी	कुल	एससी	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी	कुल
	419	846	1265	333	556	889

राजस्थान	2021-22 (प्रशिक्षण शुरू किया गया)			2021-22 (किया गया नियोजन)*		
	एससी	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी	कुल	एससी	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी	कुल
	798	1129	1927	97	50	147

* नियोजन मूल्यांकन और प्रमाणन के पश्चात किए जाते हैं।

(ख) और (ग): पीएम-दक्ष एससी/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी और कूडा बीनने वाले व्यक्तियों सहित सफाई कर्मचारियों के लिए एकसमान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय (एसएसडीई) की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) स्कीम के अंतर्गत पैनल पर रखे गए प्रशिक्षण संस्थानों में से इस स्कीम के लिए अंतिम रूप से चुने गए सरकारी और प्रख्यात निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एमएसडीई के साथ पैनल पर रखे गए अधिक से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों को देश में प्रशिक्षण संस्थानों के दायरे को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है।

*****